रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.-33002/99
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1] दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 16, 2018/माघ 27, 1939 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 447
No. 1] DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 16, 2018/MAGHA 27, 1939 [N.C.T.D. No. 447

भाग—III
PART—III

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

दिल्ली, 15 फरवरी, 2018

[दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (आपूर्ति कोड तथा निष्पादन मानक) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2018]

सं. एफ.17 (85)/डीईआरसी/इंजि./2017–18/5855/2661.– दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग द्वारा (आपूर्ति कोड तथा निष्पादन मानक) विनियम, 2017 के क्रियान्वयन में अधिक स्पष्टता और सुगमता लाने के लिए, दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग, दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (आपूर्ति कोड तथा निष्पादन मानक) विनियम, 2017 के विनियम 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और पिछले प्रकाशन के बाद एवं उसके निमित्त सक्षम करने की अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद् द्वारा दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (आपूर्ति कोड तथा निष्पादन मानक) विनियम, 2018 (इसके बाद ''प्रमुख विनियम'' कहा जाएगा) के निम्नलिखित विनियमों में संशोधन किया जाता है:

1.0 लघु शीर्षक तथा प्रारंभनः

(1) इन नियमों को दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (आपूर्ति कोड तथा निष्पादन मानक) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2018 कहा जा सकता है।

(2) ये विनियम आधिकारिक राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

2.0 प्रमुख विनियमों के विनियम 2 के उप–विनियम (28) में संशोधनः

प्रमुख विनियमों के विनियम 2 के उप–विनियम (28) की अंतिम पंक्ति में से, 'किसी भी बिलिंग चक्र या बिलिंग अवधि' शब्दों को हटा दिया जाएगा।

3.0 प्रमुख विनियमों के नियमन 4 के उप–विनियम (2) (i) में संशोधनः

प्रमुख विनियमों के विनियम 4 के उप–विनियम (2) (i) के लिए, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगाः–

"(i) कम तनाव (एलटी)

(a) सिंगल फेजः फेज और न्यूट्रल के बीच 230/240 वोल्ट।

(b) तीन फेजः फेजों के बीच 400/415 वोल्ट।"

4.0 प्रमुख विनियमों के विनियमन 7 के उप–नियमन (5) में संशोधनः

प्रमुख विनियमों के विनियम 7 में, उप–विनियम (5) के लिए, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"(5) 2 किलोवाट और उससे ऊपर के भार की मंजूरी प्राप्त करने वाले सभी उपभोक्ता, आयोग द्वारा अधिसूचित समय के भीतर अर्थिंग के रिसाव संरक्षण के लिए एक उपयुक्त उपकरण स्थापित करेंगेः

बशर्ते कि जब तक उपयुक्त अर्थिंग रिसाव सुरक्षा उपकरण स्थापित नहीं किया गया हो, 2 किलोवाट और उससे ऊपर के स्वीकृत भार के ऊपर का कोई नया कनेक्शन क्रियाशील नहीं किया जाएगा।"

5.0 प्रमुख विनियमों के विनियम 16 के उप–विनियम (9) में संशोधनः

(1) प्रमुख विनियमों के विनियम 16 के उप–विनियम (9) (i) के बाद, निम्नलिखित प्रावधान सम्मिलित किए जाएंगेः

"बशर्ते कि यदि मीटर द्वारा दर्ज की गई अधिकतम मांग रिडिंग स्वीकृत भार से अधिक है, तो अस्थायी कनेक्शन की अवधि के दौरान मीटर द्वारा दर्ज अधिकतम मांग रिडिंग के अनुसार, उपभोग्यों, वापस नहीं किए जा सकने वाले उपकरणों आदि के लिए एक बार दिया जाने वाला गैर–वापसी योग्य शुल्क देय होगा।"

(2) प्रमुख विनियमों के विनियम 16 में, उप–विनियम (9) (iii) के प्रावधानों की अंतिम पंक्ति में, शब्द और संख्या '12 घंटे' को शब्द और संख्या '18 घंटे' से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

6.0 प्रमुख विनियमों के विनियम 17 के उप–विनियम (7) (ii) में संशोधन

प्रमुख विनियमों के विनियम 17 में, उप–विनियम (7) (ii) के लिए, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"(ii) आपूर्ति प्रणाली के मौजूदा वर्गीकरण और निर्दिष्ट शुल्क का भुगतान का रूपांतरण आयोग के आदेशों के अनुसार निर्दिष्ट तरीके से किया जाएगा।"

7.0 प्रमुख विनियमों के विनियम 29 में संशोधनः

प्रमुख विनियमों के विनियम 29 के उप–विनियम (8), (9), (10), (11) के लिए, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"(8) अग्रिम सूचना देने के बाद, आवेदक/उपभोक्ता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में, लाइसेंसधारी, नए कनेक्शन जारी करने के लिए निर्दिष्ट समय के भीतर, या मीटर के प्रतिस्थापन के लिए निर्दिष्ट समय के भीतर मीटर स्थापित करेगाः

बशर्ते कि मीटर के प्रतिस्थापन के मामले में, वितरण लाइसेंसधारी उपभोक्ता को कम से कम 3 (तीन) दिन पहले सूचना दे।

(9) जब भी नए कनेक्शन या प्रतिस्थापन या बिजली की आपूर्ति की बहाली या किसी अन्य काम के के लिए, कोई मीटर बंद किया जाता है, तो उसे उपभोक्ता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में बंद किया जाएगा।

(10) किसी भी मीटर को लगाने या मीटर को सील करने के समय, लाइसेंसधारी द्वारा आयोग द्वारा अनुमोदित प्रारूप (मीटर विवरण पत्र) में मुहर के विवरण सहित मीटर का विवरण दर्ज किया जाएगा।

(11) लाइसेंसधारी, मीटर विवरण पत्र की लाइसेंसधारी और आवेदक या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उचित रूप से हस्ताक्षरित एक प्रति आवेदक या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों को देगा और पावती के रूप में ऐसी एक प्रति अपने पास रखेगाः

बशर्ते कि वितरण लाइसेंसधारी के पास स्थापना साइट पर उपभोक्ता के हस्ताक्षर सहित मीटर के विवरण को डिजिटल रूप से रिकॉर्ड करने का विकल्प होः

बशर्ते कि उस आवेदक के लिए, जिसने आवेदन पत्र में ईमेल आईडी प्रदान की है, लाइसेंसधारी विवरण पत्र की प्रति आवेदक को ईमेल जैसे इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भेज देगाः

बशर्ते कि यदि मीटर विवरण पत्र आवेदक को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भेजा जाता है, तो मीटर विवरण पत्र की हार्ड कॉपी केवल आवेदक के अनुरोध पर ही भेजी जाएगी।''

8.0 प्रमुख विनियमों के विनियम 32 में संशोधनः

(1) प्रमुख विनियमों के विनियम 32 में, उप–विनियम (2) (i) के दूसरे प्रावधान की तीसरी पंक्ति में, 'द्वारा' शब्द को 'में' शब्द से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(2) प्रमुख विनियमों के विनियम 32 के लिए उप–विनियम (8) (i) के लिए, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

''(8) छेड़छाड़ किए जाने वाले संदिग्ध मीटर का परीक्षणः–

(i) यदि लाइसेंसधारी को बिजली की चोरी या मीटर के माध्यम से बिजली के अनधिकृत उपयोग का संदेह है, तो उस प्रयोजन के लिए मीटर को आयोग द्वारा अधिसूचित किसी मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला या आयोग द्वारा अधिसूचित किसी अन्य एजेंसी में जांच की जाएगीः

बशर्ते कि आयोग द्वारा अधिसूचित मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला की अनुपस्थिति में, लाइसेंसधारी द्वारा स्थापित प्रयोगशाला के अलावा किसी अन्य मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में मीटर का परीक्षण किया जाएगा।''

महेन्द्र सिंह, सचिव

नोटः प्रमुख विनियम 17 अगस्त, 2017 को दिल्ली राजपत्र, असाधारण, भाग III में एन.सी.टी.डी. संख्या 218 में प्रकाशित किए गए थे।

DELHI ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

NOTIFICATION

Delhi, the 15th February, 2018

[Delhi Electricity Regulatory Commission (Supply Code and Performance Standards) (First Amendment) Regulations, 2018]

No. F.17(85)/DERC/Engg./2017-18/5855/2661.— In order to bring more clarity and ease in implementation of the Delhi Electricity Regulatory Commission (Supply Code and Performance Standards) Regulations, 2017, the Delhi Electricity Regulatory Commission, in exercise of the powers conferred by Regulation 87 of the Delhi Electricity Regulatory Commission (Supply Code and Performance Standards) Regulations, 2017 and all other powers enabling it in this behalf and after previous publication, hereby makes the following Regulations to amend the Delhi Electricity Regulatory Commission (Supply Code and Performance Standards) Regulations, 2018 (hereinafter referred to as "the Principal Regulations"):

1.0 Short title and commencement:

(1) These regulations may be called the Delhi Electricity Regulatory Commission (Supply Code and Performance Standards) (First Amendment) Regulations, 2018.

(2) These regulations shall come into effect from the date of their publication in the official Gazette.

2.0 Amendment of sub-Regulation (28) of Regulation 2 of Principal Regulations:

In regulation 2 of Principal Regulations, in the last line of sub-Regulation (28), the words 'in any billing cycle or billing period' shall be omitted.

3.0 Amendment of sub-Regulation (2) (i) of Regulation 4 of Principal Regulations:

In regulation 4 of Principal Regulations, for sub-Regulation (2) (i), the following shall be substituted namely:-

"(i) Low Tension (LT)

(a) Single Phase: 230/240 volts between phase and neutral.

(b) Three Phase: 400/415 volts between phases."

4.0 Amendment of sub-Regulation (5) of Regulation 7 of Principal Regulations:

In regulation 7 of Principal Regulations, for sub-Regulation (5) the following shall be substituted namely:

"(5) All consumers having sanctioned load of 2kW and above, shall install a suitable device for earth leakage protection within the time period as may be notified by the Commission:

Provided that no new connection of 2kW and above of sanctioned load shall be energized, unless a suitable earth leakage protective device has been installed."

5.0 Amendment of sub-Regulation (9) of Regulation 16 of Principal Regulations:

(1) In Regulation 16 of Principal Regulations, after sub-Regulation (9)(i), the following proviso shall be inserted:

"Provided that in case if the maximum demand reading recorded by the meter is more than the sanctioned load, onetime non-refundable charges for consumables, non-retrieval of equipment, etc. shall be payable as per maximum demand reading recorded by the meter during the period of temporary connection."

(2) In Regulation 16 of Principal Regulations, in the last line of proviso of sub-Regulation (9)(iii), for the word and figure '18 hours' , the word and figure '12 hours' shall be substituted.

6.0 Amendment of sub-Regulation (7)(ii) of Regulation 17 of Principal Regulations:

In Regulation 17 of Principal Regulations, for sub-Regulation (7)(ii) the following shall be substituted namely:

"(ii) Conversion of existing classification of system of supply shall be carried out in the manner and on payment of charges as may be specified in the Commission's Orders."

7.0 Amendment of Regulation 29 of Principal Regulations:

In Regulation 29 of Principal Regulations, for sub-Regulations (8), (9), (10), (11), the following shall be substituted namely:

"(8) The Licensee shall install the meter, within the time specified for release of new connection or the time specified for replacement of meters as the case may be, in the presence of the applicant/consumer or his authorized representative after giving advance notice:

Provided that in case of replacement of meter, the distribution licensee shall give atleast 3 (three) days advance notice to the consumer.

(9) Whenever a meter is sealed, either for a new connection or replacement or restoration of power supply or any other work, it shall be sealed in the presence of the consumer or his authorized representative.

(10) At the time of installation of any meter or sealing of meter, the Licensee shall record the particulars of the meters including the details of seals in a format (meter particulars sheet) approved by the Commission.

(11) The Licensee shall give a copy of the meter particulars sheet to the applicant or their authorized representatives, duly signed by the Licensee and the applicant or their authorized representatives, and retain one such copy as an acknowledgment:

Provided that the distribution licensee may have the option to record the particulars of the meter digitally including the signature of the consumer at installation site itself:

Provided further that for the applicant who has provided email ID in the application form, the Licensee shall send the copy of meter particulars sheet to the applicant through electronic mode such as email:

Provided also that if the meter particulars sheet is sent to the applicant through electronic mode, the hard copy of meter particulars sheet shall only be delivered on the request of the applicant."

8.0 Amendment of Regulation 32 of Principal Regulations:

(1) In Regulation 32 of Principal Regulations, in the third line of second proviso of sub-Regulation (2) (i), for the word 'in', the word 'by' shall be substituted.

(2) In Regulation 32 of Principal Regulations, for sub-Regulation (8) (i), the following shall be substituted namely:

"(8) Testing of suspected tampered meter:-

(i) If the Licensee suspects theft of electricity or unauthorised use of electricity through a meter or through a burnt meter, the meter shall be tested in an accredited laboratory notified by the Commission for that purpose or at any other agency as may be notified by the Commission:

Provided further that in the absence of an accredited laboratory notified by the Commission, the meter shall be tested in any accredited laboratory other than that of the Licensee."

MAHENDER SINGH, Secy.

Note: The Principal Regulations were published on 17th August, 2017 in the Delhi Gazette, Extraordinary, Part III at N.C.T.D. No. 218.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2018.02.22 20:16:23 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.